BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 27 सितम्बर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मारपीट करने के 06 आरोपियो को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. देवेन्द्र उर्फ गुल्लू पुत्र प्रेम, 2- अमित पुत्र प्रेम, 3- सतपाल पुत्र जीत सिंह, 4- सत्तन पुत्र धनपाल, 5- अरविन्द पुत्र धीरज, 6- सोबी पुत्र बदले निवासीगण ग्राम बरमदपुर थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2016 में अपने गांव निवासी एक व्यक्ति कर्मवीर गाली गलौच व मारपीट करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 04.06.2016 को थाना गुलावठी पर मुअसं- 317/2016 धारा 147/148/149/504/506/324 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 02.11.2016 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमे 08 गवाह परीक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 27.09.2024 को न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार (मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-04 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1- देवेन्द्र उर्फ गुल्लू, 2- अमित, 3- सतपाल, 4- सत्तन, 5- अरविन्द, 6- सोबी उपरोक्त को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री वीरपाल का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तो को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर